न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/175/2018	29—11—2018	19—12—2018

01— तातड़िया पुत्र कालू जाति मेव निवासी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ
दिनांक 02.11.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 217/2018

उपस्थितः—

01—श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 02.11.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बगड राजपूत की सरकारी बंजड प्रथम भूमि के आराजी खसरा नम्बर 860/0.96 है0 के 0.96 है0 व 859/0.25 है0 के 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बगड राजपूत की सरकारी बंजड प्रथम भूमि के आराजी खसरा नम्बर 860/0.96 है0 के 0.96 है0 व 859/0.25 है0 के 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 17.10.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिकमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिकमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त आराजी को अपीलांट के बुजुर्गान ने जागीरदार छगन सिंह से धारण की गई थी। जिस जागीरदार का साबिक रिकार्ड में नाम दर्ज है। अपीलांट के पिता कालू का देहांत हो चुका है और अपीलांट अपने पिता का एकमात्र वारिस है। राजस्व रिकार्ड में संवत् 2020 में बिना पूर्व सूचना के अपीलांट के पिता का नाम कलमजन कर दिया गया। उसी समय से उक्त आराजी सिवायचक दर्ज चली आ रही है। अपीलांट के पिता व अपीलांट का लगातार कब्जा चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 02.11.2018 निरस्त फरमाया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके पिता का विवादित आराजी पर संवत् 2020 से पूर्व तथा उनके मरने के बाद अपीलांट का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19—12—2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)